भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2328
10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: प्रति बूंद अधिक फसल योजना

2328. श्री केसिनेनी शिवनाथः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के अधीन कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास कृषि प्रबंधन केंद्र, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई कवरेज के संबंध में किए गए अध्ययन संबंधित कोई डेटा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख सिफारिशें और निष्कर्ष क्या है, और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) आंध्र प्रदेश राज्य में पीडीएमसी के अंतर्गत कवर किए जाने हेतु प्रस्तावित लक्ष्य और उसके अंतर्गत आज की तिथि तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(च) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से किसानों को दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के एक घटक के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई, अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देती है। इस योजना को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना (एएपी), जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किए जाने वाले नियोजित क्षेत्र शामिल हैं, तैयार कर क्रियान्वित किया जाता है।

(ग) और (घ): भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के कृषि प्रबंधन केंद्र ने सूक्ष्म सिंचाई पर वर्ष 2021 में "भारत की कृषि में जल उपयोग दक्षता में सुधार करने में सूक्ष्म सिंचाई का प्रदर्शन और प्रभाव: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) का अध्ययन" और वर्ष 2023 में "भारत भर में सूक्ष्म सिंचाई में कौशल अंतर का आकलन" नामक दो अध्ययन किए हैं। अध्ययनों के प्रमुख निष्कर्ष/सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं;

(i) सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने वाली पीडीएमसी योजना से जल उपयोग दक्षता में सुधार, जल संरक्षण, किसानों की आय में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि पर समग्र रूप से अच्छा प्रदर्शन और प्रभाव दिखा है। लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों और निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से कार्यान्वयन का वर्तमान तरीका संतोषजनक रहा है।

(ii) सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने में किसानों के लिए उच्च प्रारंभिक निवेश, खंडित भूमि जोत, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता, एमआई सिस्टम के संचालन में तकनीकी मुद्दे, समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त संख्या में तकनीशियनों की अनुपलब्धता और उच्च संचालन व रखरखाव लागत आदि जैसे विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं।

(iii) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) वाले राज्यों में योजना का कार्यान्वयन अधिक सुव्यवस्थित है। एसपीवी जैसे संस्थागत ढांचे और कार्यान्वयन के लिए समर्पित वेबसाइट प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।

(iv) किसानों की सहायता के लिए योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए चीनी सहकारी समितियों जैसे किसान संस्थानों को शामिल किया जा सकता है।

(v) सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों/राज्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो सब्जियों व फलों जैसी बागवानी फसलों के लिए भी उपयुक्त है। ऐसे क्षेत्र, सूक्ष्म सिंचाई से काफी लाभ उठा सकते हैं।

(vi) गन्ना और केला जैसी अधिक पानी का खपत करने वाली फसलों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ऐसी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई से पानी की काफी बचत होती है।

(vii) सूक्ष्म सिंचाई की लाभप्रदता को देखते हुए, इस तकनीक को न केवल पानी की बचत करने वाली तकनीक के रूप में बल्कि पर्याप्त उपज, लाभ और आय बढ़ाने वाली तकनीक के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(ङ): पीडीएमसी योजना, आंध्र प्रदेश राज्य में राज्य द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना के अनुसार कार्यान्वित की जाती है। योजना की शुरुआत वर्ष 2015-16 से लेकर 2023-24 तक आंध्र प्रदेश राज्य में पीडीएमसी के तहत सूक्ष्म सिंचाई के तहत कुल 9.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। चालू वर्ष (2024-25) के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य ने राज्य वार्षिक कार्य योजना में सूक्ष्म सिंचाई के तहत 1.24 लाख हेक्टेयर को कवर करने का संकेत दिया है।

(च): कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) किसानों के लिए खेत/बागवानी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अलावा, केवीके किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना और रखरखाव पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, केवीके द्वारा किसानों के लिए 816 ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
